"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 अगस्त 2015—श्रावण 16, शक 1937

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2015

क्रमांक ई-1-7/2012/1/2.— राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. बी. एल. अग्रवाल, भा.प्र.से. (1988) को उनसे कनिष्ठ अधिकारी श्री के.डी.पी. राव, भा.प्र.से. (1988) के प्रमुख सचिव वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अर्थात 27-7-2012 से प्रमुख सचिव वेतनमान [HAG 67000-(annual increment @ 3%) - 79000/-] में पदोन्नत करता है तथा उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ करता है. साथ ही उन्हें आयुक्त, उच्च शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

नया रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2015

क्रमांक ई-1-7/2012/1/2.— राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आर. सी. सिन्हा, भा.प्र.से. (1982) को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रमुख सचिव वेतनमान [HAG 67000-(annual increment @ 3%) - 79000/-] में पदोन्नत करता है तथा उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 1-03/2012/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री ध्रुव गुप्ता, भापुसे (सी.जी. 2005), को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, एस.टी.एफ. बघेरा, जिला-दुर्ग के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2015

क्रमांक ई 7-02/2013/1/2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री अनिल टुटेजा, भा.प्र.से. संचालक, पंचायत छत्तीसगढ़ रायपुर को दिनांक 23-03-2015 से दिनांक 25-04-2015 तक (34 दिवस) लघुकृत (चिकित्सा) अवकाश (कार्योत्तर) स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 21-03-2015, 22-03-2015 एवं 26-04-2015 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री टुटेजा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री टुटेजा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 6-52/2014/वा.क./पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री पी. एस. विंध्यराज, सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, दुर्ग को उपायुक्त, वाणिज्यिक कर के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 15600-39100+ग्रेड वेतन रुपये 7600 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर, छत्तीसगढ़ में पदस्थ करता है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदोन्नति में "छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003" की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-2/2003/1-3, दिनांक 26-11-2012 द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की स्थिति के संबंध में जारी किये गये रोस्टर तथा अन्य पूरक निर्देशों के अनुसार आरक्षण का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. राठिया, अवर सचिव.

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2015

क्रमांक/एफ 1-8/2014/15-01.—राज्य शासन एतद्द्वारा, सहकारिता विभाग के निम्नलिखित संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, संभागीय कार्यालयों में अधीक्षक पद की स्वीकृति प्रदान करता है :—

क्र.	संभागीय कार्यालय	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड पे	स्वीकृत पद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रायपुर	अधीक्षक	9300-34800	4300	1
2.	बिलासपुर	अधीक्षक	9300-34800	4300	1
3.	जगदलपुर	अधीक्षक	9300-34800	4300	1

नया रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2015

क्रमांक/एफ 1-8/2014/15-01.—राज्य शासन एतद्द्वारा, मुख्यालय तथा जिला कार्यालयों हेतु आदेश क्रमांक/एफ 14-1/2008/15-1/816 दिनांक 11-04-2012 द्वारा स्वीकृत पद संरचना के निम्नलिखित कार्यालयों के पदों की उनके नाम के सम्मुख लिखी स्वीकृत संख्या में से कटौती कर संशोधित पद संख्या की स्वीकृति प्रदान करता है :—

(1) **कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ की पद संरचना —**

क्र.	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड पे	स्वीकृत पद संख्या	कटौती पद संख्या	संशोधित स्वीकृत पद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	पंजीयक (भा.प्र.से.)	37400-67000	8900	1	-	1
2.	अपर पंजीयक	37400-67000	8700	2	-	2
3.	संयुक्त पंजीयक	15600-39100	7600	5	1	4
4.	उप पंजीयक	15600-39100	6600	5	-	5
5.	उप संचालक लेखा	15600-39100	6600	1	-	1
6.	सहायक पंजीयक	15600-39100	5400	7	1	6
7.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	9300-34800	4400	1	-	1
8.	अंकेक्षण अधिकारी	9300-34800	4400	4	-	4
9.	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	9300-34800	4300	15	-	15
10.	सहकारी निरीक्षक	5200-20200	2800	21	-	21
11.	उप अंकेक्षक	5200-20200	2400	10	-	10
12.	प्रशासकीय अधिकारी	9300-34800	4400	1	-	1
13.	अधीक्षक	9300-34800	4300	4	3	1
14.	सहायक ग्रेड-1	5200-20200	2800	6	1	5
15.	सहायक ग्रेड-2	5200-20200	2400	12	-	12
16.	सहायक ग्रेड-3	5200-20200	1900	18	-	18
17.	शीघ्र लेखक-2	9300-34800	4300	1	-	1
18.	शीघ्र लेखक-3	5200-20200	2800	2	1	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19.	स्टेनो टायपिस्ट	5200-20200	1900	6	1	5
20.	डाटा एंट्री आपरेटर	5200-20200	2400	1	1	-
21.	दफ्तरी	4750-7440	1300	1	-	1
22.	भृत्य	4750-7440	1300	13	-	13
23.	वाहन चालक	5200-20200	1900	10	1	9
24.	फर्राश	4750-7440	1300	1	1	-
25.	चौकीदार	4750-7440	1300	1	1	-
			योग	**149**	**12**	**137**

(2) **कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग की पद संरचना :—**

क्र.	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड पे	स्वीकृत पद संख्या	कटौती पद संख्या	संशोधित स्वीकृत पद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	उप पंजीयक	15600-39100	6600	1	-	1
2.	सहायक पंजीयक	15600-39100	5400	2	-	2
3.	अंकेक्षण अधिकारी	9300-34800	4400	3	1	2
4.	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	9300-34800	4300	7	-	7
5.	सहकारी निरीक्षक	5200-20200	2800	11	-	11
6.	सहकारिता विस्तार अधिकारी	5200-20200	2800	3	-	3
7.	उप अंकेक्षक	5200-20200	2400	10	-	10
8.	सहायक ग्रेड-1	5200-20200	2800	1	-	1
9.	सहायक ग्रेड-2	5200-20200	2400	2	-	2
10.	सहायक ग्रेड-3	5200-20200	1900	4	-	4
11.	डाटा एंट्री आपरेटर	5200-20200	2400	1	-	1
12.	दफ्तरी	4750-7440	1300	1	-	1
13.	भृत्य	4750-7440	1300	4	1	3
14.	वाहन चालक	5200-20200	1900	1	-	1
15.	फर्राश	कलेक्टर दर पर		1	-	1
16.	चौकीदार	आकस्मिकता स्थापना		1	-	1
			योग	**53**	**2**	**51**

(3) **कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बालोद की पद संरचना :—**

क्र.	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड पे	स्वीकृत पद संख्या	कटौती पद संख्या	संशोधित स्वीकृत पद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	उप पंजीयक	15600-39100	6600	1	-	1
2.	सहायक पंजीयक	15600-39100	5400	1	-	1
3.	अंकेक्षण अधिकारी	9300-34800	4400	1	-	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	9300-34800	4300	4	-	4
5.	सहकारी निरीक्षक	5200-20200	2800	8	1	7
6.	सहकारिता विस्तार अधिकारी	5200-20200	2800	5	-	5
7.	उप अंकेक्षक	5200-20200	2400	7	-	7
8.	सहायक ग्रेड-1	5200-20200	2800	1	-	1
9.	सहायक ग्रेड-2	5200-20200	2400	2	-	2
10.	सहायक ग्रेड-3	5200-20200	1900	3	-	3
11.	डाटा एंट्री आपरेटर	5200-20200	2400	1	-	1
12.	दफ्तरी	4750-7440	1300	1	-	1
13.	भृत्य	4750-7440	1300	3	-	3
14.	वाहन चालक	5200-20200	1900	1	-	1
			योग	**39**	**1**	**38**

(4) **कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव की पद संरचना :—**

क्र.	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड पे	स्वीकृत पद संख्या	कटौती पद संख्या	संशोधित स्वीकृत पद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	उप पंजीयक	15600-39100	6600	1	-	1
2.	सहायक पंजीयक	15600-39100	5400	2	-	2
3.	अंकेक्षण अधिकारी	9300-34800	4400	2	-	2
4.	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	9300-34800	4300	5	-	5
5.	सहकारी निरीक्षक	5200-20200	2800	8	-	8
6.	सहकारिता विस्तार अधिकारी	5200-20200	2800	9	-	9
7.	उप अंकेक्षक	5200-20200	2400	9	-	9
8.	सहायक ग्रेड-1	5200-20200	2800	1	-	1
9.	सहायक ग्रेड-2	5200-20200	2400	2	-	2
10.	सहायक ग्रेड-3	5200-20200	1900	4	-	4
11.	डाटा एंट्री आपरेटर	5200-20200	2400	1	-	1
12.	दफ्तरी	4750-7440	1300	1	-	1
13.	भृत्य	4750-7440	1300	4	1	3
14.	वाहन चालक	5200-20200	1900	1	-	1
			योग	**50**	**1**	**49**

(5) **कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कबीरधाम की पद संरचना :—**

क्र.	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड पे	स्वीकृत पद संख्या	कटौती पद संख्या	संशोधित स्वीकृत पद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	उप पंजीयक	15600-39100	6600	1	-	1
2.	सहायक पंजीयक	15600-39100	5400	1	-	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	अंकेक्षण अधिकारी	9300-34800	4400	1	-	1
4.	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	9300-34800	4300	4	-	4
5.	सहकारी निरीक्षक	5200-20200	2800	8	1	7
6.	सहकारिता विस्तार अधिकारी	5200-20200	2800	4	-	4
7.	उप अंकेक्षक	5200-20200	2400	7	-	7
8.	सहायक ग्रेड-1	5200-20200	2800	1	-	1
9.	सहायक ग्रेड-2	5200-20200	2400	2	-	2
10.	सहायक ग्रेड-3	5200-20200	1900	3	-	3
11.	डाटा एंट्री आपरेटर	5200-20200	2400	1	-	1
12.	दफ्तरी	4750-7440	1300	1	-	1
13.	भृत्य	4750-7440	1300	4	-	4
14.	वाहन चालक	5200-20200	1900	1	-	1
			योग	**39**	**1**	**38**

(6) **कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बेमेतरा की पद संरचना :—**

क्र.	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड पे	स्वीकृत पद संख्या	कटौती पद संख्या	संशोधित स्वीकृत पद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	उप पंजीयक	15600-39100	6600	1	-	1
2.	सहायक पंजीयक	15600-39100	5400	1	-	1
3.	अंकेक्षण अधिकारी	9300-34800	4400	1	-	1
4.	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	9300-34800	4300	2	-	2
5.	सहकारी निरीक्षक	5200-20200	2800	4	-	4
6.	सहकारिता विस्तार अधिकारी	5200-20200	2800	5	-	5
7.	उप अंकेक्षक	5200-20200	2400	3	-	3
8.	सहायक ग्रेड-2	5200-20200	2400	2	1	1
9.	सहायक ग्रेड-3	5200-20200	1900	1	-	1
10.	डाटा एंट्री आपरेटर	5200-20200	2400	1	-	1
11.	भृत्य	4750-7440	1300	3	-	3
			योग	**24**	**1**	**23**

(7) **कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गरियाबंद की पद संरचना :—**

क्र.	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड पे	स्वीकृत पद संख्या	कटौती पद संख्या	संशोधित स्वीकृत पद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सहायक पंजीयक	15600-39100	5400	1	-	1
2.	अंकेक्षण अधिकारी	9300-34800	4400	1	-	1
3.	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	9300-34800	4300	2	-	2
4.	सहकारी निरीक्षक	5200-20200	2800	4	-	4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	सहकारिता विस्तार अधिकारी	5200–20200	2800	5	–	5
6.	उप अंकेक्षक	5200–20200	2400	3	–	3
7.	सहायक ग्रेड–2	5200–20200	2400	2	1	1
8.	सहायक ग्रेड–3	5200–20200	1900	1	–	1
9.	डाटा एंट्री आपरेटर	5200–20200	2400	1	–	1
10.	भृत्य	4750–7440	1300	3	–	3
			योग	**23**	**1**	**22**

(8)　**कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरिया की पद संरचना :—**

क्र.	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड पे	स्वीकृत पद संख्या	कटौती पद संख्या	संशोधित स्वीकृत पद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सहायक पंजीयक	15600–39100	5400	1	–	1
2.	अंकेक्षण अधिकारी	9300–34800	4400	1	–	1
3.	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	9300–34800	4300	4	1	3
4.	सहकारी निरीक्षक	5200–20200	2800	5	1	4
5.	सहकारिता विस्तार अधिकारी	5200–20200	2800	5	–	5
6.	उप अंकेक्षक	5200–20200	2400	4	–	4
7.	सहायक ग्रेड–1	5200–20200	2800	1	–	1
8.	सहायक ग्रेड–2	5200–20200	2400	1	–	1
9.	सहायक ग्रेड–3	5200–20200	1900	2	1	1
10.	डाटा एंट्री आपरेटर	5200–20200	2400	1	–	1
11.	भृत्य	4750–7440	1300	3	–	3
12.	वाहन चालक	5200–20200	1900	1	–	1
			योग	**29**	**3**	**26**

(9)　**कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर की पद संरचना :—**

क्र.	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड पे	स्वीकृत पद संख्या	कटौती पद संख्या	संशोधित स्वीकृत पद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	उप पंजीयक	15600–39100	6600	1	–	1
2.	सहायक पंजीयक	15600–39100	5400	2	–	2
3.	अंकेक्षण अधिकारी	9300–34800	4400	3	–	3
4.	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	9300–34800	4300	7	–	7
5.	सहकारी निरीक्षक	5200–20200	2800	11	–	11
6.	सहकारिता विस्तार अधिकारी	5200–20200	2800	4	–	4
7.	उप अंकेक्षक	5200–20200	2400	10	–	10
8.	सहायक ग्रेड–1	5200–20200	2800	1	–	1
9.	सहायक ग्रेड–2	5200–20200	2400	2	–	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	सहायक ग्रेड-3	5200-20200	1900	4	-	4
11.	डाटा एंट्री आपरेटर	5200-20200	2400	1	-	1
12.	दफ्तरी	4750-7440	1300	1	-	1
13.	भृत्य	4750-7440	1300	4	1	3
14.	वाहन चालक	5200-20200	1900	1	-	1
15.	फर्राश	कलेक्टर दर		1	-	1
16.	चौकीदार	आकस्मिकता स्थापना		1	-	1
			योग	**54**	**1**	**53**

(10) **कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जशपुर की पद संरचना :—**

क्र. (1)	पदनाम (2)	वेतनमान (3)	ग्रेड पे (4)	स्वीकृत पद संख्या (5)	कटौती पद संख्या (6)	संशोधित स्वीकृत पद संख्या (7)
1.	सहायक पंजीयक	15600-39100	5400	1	-	1
2.	अंकेक्षण अधिकारी	9300-34800	4400	1	-	1
3.	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	9300-34800	4300	4	1	3
4.	सहकारी निरीक्षक	5200-20200	2800	5	1	4
5.	सहकारिता विस्तार अधिकारी	5200-20200	2800	8	-	8
6.	उप अंकेक्षक	5200-20200	2400	4	-	4
7.	सहायक ग्रेड-1	5200-20200	2800	1	-	1
8.	सहायक ग्रेड-2	5200-20200	2400	1	-	1
9.	सहायक ग्रेड-3	5200-20200	1900	2	1	1
10.	डाटा एंट्री आपरेटर	5200-20200	2400	1	-	1
11.	भृत्य	4750-7440	1300	3	-	3
12.	वाहन चालक	5200-20200	1900	1	-	1
			योग	**32**	**3**	**29**

नया रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2015

क्रमांक/एफ 1-8/2014/15-01.—राज्य शासन एतद्द्वारा, राजस्व संभाग दुर्ग में सहकारिता विभाग का संभागीय कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं दुर्ग, संभाग दुर्ग का गठन करने के लिए निम्नलिखित पदों की स्वीकृति प्रदान करता है :—

क्र. (1)	पदनाम (2)	वेतनमान (3)	ग्रेड पे (4)	स्वीकृत पद संख्या (5)
1.	संयुक्त पंजीयक	15600-39100	7600	1
2.	सहायक पंजीयक	15600-39100	5400	1
3.	अंकेक्षण अधिकारी	9300-34800	4400	1
4.	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	9300-34800	4300	2
5.	सहकारी निरीक्षक	5200-20200	2800	4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	अधीक्षक	9300-34800	4300	1
7.	सहायक ग्रेड-1	5200-20200	2800	1
8.	सहायक ग्रेड-2	5200-20200	2400	2
9.	सहायक ग्रेड-3	5200-20200	1900	2
10.	शीघ्र लेखक-3	5200-20200	2800	1
11.	स्टेनो टायपिस्ट	5200-20200	1900	1
12.	डाटा एंट्री आपरेटर	5200-20200	2400	1
13.	भृत्य	4750-7440	1300	3
14.	वाहन चालक	5200-20200	1900	1
15.	फर्राश	4750-7440	1800	1
16.	चौकीदार	4750-7440	1300	1
		योग		**24**

संभागीय कार्यालय की पदसंरचना में उल्लेखित पदों के वेतन एवं भत्ते तथा अन्य व्यय की राशि मांग संख्या 17, आयोजनेत्तर, एक-राजस्व अनुभाग, 2425-सहकारिता, (001)-निर्देशन व प्रशासन, (123)-अधीक्षण मद से विकलनीय होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर केरकेट्टा, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 जून 2015

क्रमांक-एफ 7-16/2015/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए पाण्डातराई निवेश क्षेत्र, जिला कबीरधाम का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित् की गई है :—

अनुसूची

पाण्डातराई निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम मदनपुर खुर्द, छांटा एवं मड़मड़ा ग्राम की उत्तरी सीमा तक.

पश्चिम में: ग्राम मड़मड़ा, सरईपतेरा कला एवं चरखुरा ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम चरखुरा, नवागांव कला, डोंगरिया कला एवं पुतकी कला ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम पुतकी कला, दशरंगपुर, रोहरा, लडुवा एवं मदनपुरखुर्द ग्राम की पूर्वी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 30 मार्च 2015

क्रमांक/1930/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	परसगढ़ी	1.51	सहायक कार्यपालन अभियंता, (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे मनेन्द्रगढ़.	द. पू. म. रे. बिलासपुर पाराडोल एवं मनेन्द्रगढ़ के बीच ग्राम परसगढ़ी में रेल्वे पुल क्रमांक 99 का निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुन्द, दिनांक 4 जुलाई 2015

क्रमांक/202/अ.वि.अ./भू-अर्जन/13 अ/82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	बागबाहरा	बटोरा प.ह.नं. 34	0.28	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	बकमा-बटोरा मार्ग के कांदाझरी नाला पर पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छ.ग. के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 4 जुलाई 2015

क्रमांक/204/अ.वि.अ./भू-अर्जन/14 अ/82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	बागबाहरा	बकमा प.ह.नं. 34	0.04	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	बकमा-बटोरा मार्ग के कांदाझरी नाला पर पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छ.ग. के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जगदलपुर, दिनांक 7 जुलाई 2015

क्रमांक क/भू-अर्जन/01/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	घाटपदमुर प.ह.नं. 02	1.91	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) संभाग, जगदलपुर, जिला बस्तर.	घाटपदमुर-कुड़कानार मार्ग के कि.मी. 2/6 पर इंद्रावती नदी सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी जगदलपुर अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) संभाग जगदलपुर, जिला बस्तर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर छ.ग.

रायपुर, दिनांक 11 जून 2015

क्रमांक/7790/न.ग्रा.नि/2015.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि गरियाबंद निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र का नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है, उसकी प्रति नगर पालिका परिषद् के कार्यालय भवन गरियाबंद, जिलाध्यक्ष कार्यालय गरियाबंद एवं संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, शास्त्री चौक, रायपुर छ.ग. में दिनांक 12-06-2015 से कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दी गई है :—

अनुसूची

उत्तर में : ग्राम नहरगांव, कोकड़ी, पाथरमोहदा तथा भिलाई ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम भिलाई, मजरकटा, आमदी तथा पारागांव ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम पारागांव तथा डोंगरीगांव की ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम डोंगरीगांव, केसोडोर, गरियाबंद तथा नहरगांव ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, शास्त्री चौक, रायपुर छ.ग. को सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो, तो संचालक द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल— कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.)

No./7790/T&CP/2015.— Notice is hereby given that the existing land use maps and register in Gariaband Planning Area has been prepared under sub section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection w.e.f. 12-06-2015 in the office of the Nagar Palika Parishad, Gariaband & the office of the Collector, Gariaband and office of the Joint Director Town and Country Planning, Shastri Chawok Raipur C.G. during office hours of working days. The limits of Gariaband Planning Area are detailed in schedule given below :—

SCHEDULE

Gariaband Planning Area Limits

NORTH : Village Nahargaon, Kokdi, Patharmohda and upto the Northern limit of Bhilai Villages.

WEST : Village Bhilai, Majarkata, Amadi, and upto the Western limit of Paragaon Villages.

SOUTH : Village Paragaon and upto the Southern limit of Dongarigaon Villages.

EAST : Village Dongarigaon, Kesodar, Gariaband and upto the Eastern limit of Nahargaon Villages.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be sent in writing to the Joint Director, Town and Country Planning, Shstri Chawok Raipur within a period of thirty days from the date of publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the expiry of the specified period above will be considered by the Director.

Inspection Site— Office of the Joint Director, Town & Country Planning, Shastry Chawok Riapur.

संदीप बांगड़े,
संयुक्त संचालक.